

कार्यालय-अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि० विभाग, वृत्त-भरतपुर

कमॉक :- 5198-5199

दिनॉक :- 23/12/19

कार्यालय- आदेश

यह है कि मुख्य पाईप लाईन मलाह हैड वर्क्स से सेवर फोर्ट एवं सेवर फोर्ट से डिपो एरिया, कंजोली लाइन एम्यूशन डिपो तक डी.आई. पाईप नेशनल हाईवे संख्या 11 के सहारे चैनेज संख्या "NH-21 (old NH-11) at change 56.375 Km. to 60.795 Km. (Total 4.42 Km)" तक पाईप लाईन बिछाने एवं क्रोस करने हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जानी है। अतः जन स्वास्थ्य अभि० विभाग, नगर खण्ड भरतपुर के अधिशाषी अभियन्ता श्री भगवान दास गालव को वन विभाग से अनापत्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया जाता है। अतः श्री भगवान दास गालव नेशनल हाईवे संख्या NH-21 (old NH-11) at change 56.375 Km. to 60.795 Km. (Total 4.42 Km)" तक पाईप लाईन बिछाने एवं क्रोस करने के प्रस्ताव स्वीकृत कराने के लिये अधिकृत होंगे।

अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभि० विभाग,
नगर खण्ड, भरतपुर

कमॉक :- 5198-5199

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

✓ 1. उप वन संरक्षक, भरतपुर।

2. श्री भगवान दास गालव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि० विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर।

अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभि० विभाग,
वृत्त-भरतपुर

दिनॉक :- 23/12/19

अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभि० विभाग,
वृत्त-भरतपुर